

कलेक्टर द्वारा सभी तहसीलों में ग्राम स्तरीय अमले से संवाद एवं दिशा निर्देशों संबंधी बैठकें प्रारम्भ

कलेक्टर ने रामपुरा व मनासा में सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अमले से किया संवाद

नीमच/मनासा, 05 मई गुरु एक्सप्रेस। जिला प्रशासन नीमच द्वारा जिले में सुशासन एवं शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा सभी तहसीलों में ग्राम स्तरीय अमले से संवाद एवं दिशा निर्देशों संबंधी बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को रामपुरा के नवोदय विद्यालय एवं मनासा के सीएम राईज स्कूल में सभी विभागों के क्षेत्र के ग्राम स्तरीय अमले की बैठक में वन टू वन संवाद किया। आगामी दिनों में कलेक्टर शेष अमले तहसीलों में भी ग्राम स्तरीय अमले की बैठक कर संवाद करेंगे। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम मनासा श्री पवन बारिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा कि तीन दिवसीय विशेष ई-केवायसी अभियान में सभी ने अच्छा कार्य किया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में नीमच जिला पिछले 6 माह से निरंतर प्रदर्श में टॉप 5 जिलों में शामिल रहा है। राजस्व विभाग के प्रकरणों के निराकरण एवं सभी योजनाओं में नीमच जिला प्रदर्श में टॉप 3 जिलों में शामिल है।

राजस्व अमले से अपेक्षाएं:- कलेक्टर ने राजस्व विभाग के ग्राम स्तरीय अमले से संवाद करते हुए कहा, कि फार्मर रजिस्ट्री में अच्छा कार्य हुआ है। परंतु सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का पंजीयन करना है। आधार, आर.ओ.आर. लिंकेज का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करना है। उन्होंने निर्देश दिए, कि नक्शा तरमीम का कार्य भी 20 मई तक पूर्ण करवाना है। शामिलता खाते में दर्ज शासकीय भूमि का नक्शा तरमीम का कार्य सर्वांच प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व



प्रकरणों के निराकरण में नीमच जिला प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है, सीमाकन, बटवारा, अभिलेख दुरुस्ती का कार्य भी सर्वांच प्राथमिकता से पूरा करवाए। लोकसेवा गारंटी के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

ग्रामीण विकास के मैदानी अमले से अपेक्षाएं:- बैठक में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने पंचायत सचिव रोजगार सहायकों और ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा, कि समग्र ई-केवायसी का 63 प्रतिशत कार्य जिले में पूरा हो गया है। आगामी 20 मई तक शतप्रतिशत हितग्राहियों का ई-केवायसी का कार्य पूर्ण करें। साथ ही जूटलीकेट समग्र, मृत व्यक्तियों के समग्र एवं पलायन कर चुके हितग्राहियों के समग्र एवं अपात्रों के समग्र को डिलीट भी करें। खाद्य, ई-केवायसी का कार्य भी आगामी 7 दिवस में पूर्ण करें। अपात्र उपभोक्ताओं के नाम हटाने की कार्यवाही करने के साथ ही पात्र उपभोक्ताओं के समग्र, खाद्य, ई-केवायसी करवाए। इसके लिए गांव-गांव जाकर रिजलिंग लाए।

प्रधानमंत्री आवास के कार्य पूर्ण करवाएं- कलेक्टर श्री चंद्रा ने निर्देश दिए, कि स्वीकृत सभी प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कार्य प्रारंभ करवाकर, कार्य पूर्ण करवाएं। जिन आवासों का निर्माण कार्य हो रहा है उनके मस्टर जारी करें।

जल संरचनाओं के सभी कार्य 15 जून तक पूर्ण करवाएं -: बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने जल गंगा संवर्धन

अभियान के तहत स्वीकृत जल संरचनाओं के सभी निर्माण कार्य 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाने के निर्देश पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों को दिए हैं। कलेक्टर ने पूर्व में स्वीकृत सभी कार्य भी 15 जून तक पूरा करवाने के निर्देश देते हुए कुआ रिचार्ज और खेत तालाब निर्माण के सभी कार्यों को पूर्ण करवाकर उनका जियो टैगिंग 15 जून तक करवाने के निर्देश दिए।

कुओ, बावडियों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई:- बैठक में कलेक्टर ने सभी पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों को निर्देश दिए, कि वे कुओ, बावडियों, सार्वजनिक तालाबों की साफ-सफाई, जनसहयोग से करवाकर, उनकी रंगाई, पुताई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करवाएं। सरपंचों, पंचों के सहयोग से श्रमदान करवाकर उक्त कार्य पूर्ण करवाएं।

पौधारोपण की पूर्ण तैयारियों करें- बैठक में कलेक्टर ने सभी पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देश दिए, कि वे 15 जून से पूर्व पौधारोपण की सभी आवश्यक तैयारियों में पौधा रोपण के लिए गड्डे तैयार करवाएं।

तालाबों से मिट्टी निकालने का कार्य करवाएं- कलेक्टर ने सभी पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों को निर्देश दिए, कि वे गांव के तालाबों से जनसहयोग से मिट्टी निकालने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रारंभ करवाकर पूर्ण करवाएं। इससे किसानों को उपजाऊ

मिट्टी अपने खेतों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही तालाबों का गहरीकरण होकर, उनकी जल भराव क्षमता भी बढ़ेगी, गांव का जल स्तर भी बढ़ेगा।

आंगनवाडी समय पर खुले-दर्ज सभी बच्चों आंगनवाडी आए- बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्देश दिए, कि सभी आंगनवाडी केंद्र निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से खुले, दर्ज सभी बच्चों को घर-घर से बुलाकर आंगनवाडी लाएं और उन्हें सुबह नाश्ते व दोपहर में गर्म पका हुआ भोजन अनिवार्य रूप उपलब्ध करवाएं।

शतप्रतिशत बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण हो- बैठक में कलेक्टर ने आशा, ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए, कि शतप्रतिशत बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण करवाएं। सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हो और निर्धारित सभी चारों ए.एन.सी. समय पर जाएं।

आंगनवाडी केंद्रों की मरम्मत करवाएं- कलेक्टर ने सभी पंचायत सचिवों एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए, कि वे अपने क्षेत्र के आंगनवाडी केंद्र भवनों का निरीक्षण करें और यदि किसी भवन में मरम्मत की आवश्यकता है, तो उनकी उपलब्ध निधि से मरम्मत करवाएं। यदि किसी गांव या शहरी क्षेत्र में नवीन आंगनवाडी भवन की आवश्यकता हो, तो उसका भी प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने निर्देश दिए, कि

अधिकारी, कर्मचारियों का आमजनों के प्रति अच्छा व्यवहार हो, सभी ऑनलाईन सेवाएं समय पर मिले, जनसुनवाई समय पर हो, राशन दुकान समय पर खुले, आंगनवाडी समय पर खुले, नामांतरण, बंटवारा व पंचायतों से संबंधित विभिन्न सेवाएं आमजनों को तत्परतापूर्वक समय पर उपलब्ध हों। शासन की योजनाओं के लक्ष्य से संबंधित कोई भी आवेदन सात दिवस से अधिक लंबित ना रहे। हितग्राहियों को समय पर हित लाभ मिले। बैठक में सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, रोजगार सहायका, पटवारी, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता सहित सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।



पार्षद श्रीमती गोस्वामी के निवेदन पर बिना मुण्डेर की बावड़ी पर कलेक्टर के निर्देश पर बाउण्डीवाल बनी

मंदसौर, 05 मई गुरु एक्सप्रेस। वार्ड नं. 26 की जागरूक पार्षद श्रीमती संगीता शैलेन्द्र गिरी गोस्वामी द्वारा विगत दिनों जिले के बूढ़ा टकरावद रोड पर बिना मुंडेर के कुएं में चार पहिया वाहन गिरने के कारण हुई गंभीर घटना के मद्देनजर वार्ड नं. 26 में बावड़ी कला में सर्वे नं. 21 शासकीय बावड़ी की मुण्डेर बनाने हेतु कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग को पत्र लिखा था। जिस पर कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने तत्काल सज्ञान लेकर

उसकी बाउण्डीवाल बनाने के आदेश देकर नगरपालिका के माध्यम से बाउण्डीवाल बनवाई।

पार्षद श्रीमती संगीता शैलेन्द्र गोस्वामी ने बताया कि वार्ड नं. 26 बावड़ीकला सर्वे नं. 21 शासकीय बावड़ी की मुण्डेर नहीं थी। इसी के पास में सर्वे नं. 33 पर आने जाने के लिये रास्ता है। जिस पर नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। इस बावड़ी के मुण्डेर नहीं होने से कभी भी दुर्घटना घट सकती थी।

श्रीमती गोस्वामी ने इस गंभीर मसले को लेकर कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग को जनसुनवाई में एक पत्र दिया। जिससे कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले हुए नगरपालिका को मुण्डेर बनाने के निर्देश दिये और जिस पर नगरपालिका अमले ने 5 मई को उक्त बावड़ी पर मुण्डेर बना दी जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को राहत मिली जिससे भविष्य में दुर्घटना नहीं होगी। पार्षद श्रीमती संगीता शैलेन्द्रगिरी गोस्वामी ने तत्काल कार्यवाही कर मुण्डेर बनवाने पर कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर, लोक निर्माण सभापति निर्मला नरेश चंदवानी, सीएमओ श्री सुधीर कुमार, टाइम कीपर पंकज साठी का आभार व्यक्त किया है।

मंदसौर में होर्डिंक्स माफिया का लालच ना ले ले किसी निर्दोष नागरिक की जान..!

नगर पालिका की तापरवाही से असुरक्षित होर्डिंक्स की भरमार, जिला कलेक्टर निष्पक्षता से असुरक्षित होर्डिंक्स पर करें कार्रवाई

मंदसौर, 05 मई गुरु एक्सप्रेस। शहर में अवैध होर्डिंस का अंधाधुंध विस्तार नागरिकों की सुरक्षा और नगर पालिका के राजस्व दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। शहर के प्रमुख स्थानों गांधी चौराहा, बस स्टैंड, गौशाला मार्केट, महाराणा प्रताप चौराहा और रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे विशालकाय होर्डिंस लगे हुए हैं, जिन्की न तो अनुमति ली गई है और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। यह किसी भी दिन मुंबई में हुए हादसे को दोहराते हुए निर्दोष नागरिकों की जान लेने का कारण बन सकते हैं। नगर पालिका की बेफिक्री और बेधर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर को इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए।



यह बात कांग्रेस पार्षद श्री तरुण शर्मा ने कही। श्री शर्मा ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि शहर में लगे अवैध होर्डिंस से नगर पालिका को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं, इन असुरक्षित संरचनाओं के कारण आम नागरिकों की जान पर भी संकट मंडरा रहा है। देश में पहले भी होर्डिंस गिरने से हुई दुर्घटनाएं हम सबके सामने हैं, और मुंबई का कुछ महीनों पूर्व का उदाहरण तो भयावह है। फिर भी मंदसौर में प्रशासनिक उदासीनता बनी हुई है। सोमवार को एक बड़ा होर्डिंस गिर गया, यह तो गनीमत थी कि कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। श्री शर्मा ने कहा कि सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों की इस विषय पर रहस्यमयी चुप्पी प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। यह स्थिति नगर पालिका व संबंधित विभागों की संभावित

मिलीभगत की ओर भी संकेत करती है। ऐसे में आवश्यक है कि जिला कलेक्टर स्वयं सज्ञान लेकर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। शहर की पुरानी इमारतों पर असुरक्षित तरीके से खड़े विरगए बड़े बड़े होर्डिंस किसी भी दिन बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। श्री शर्मा ने मांग की है कि पूरे शहर में लगे सभी होर्डिंस की विधिक और तकनीकी जांच की जाए। अवैध व असुरक्षित होर्डिंस को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। होर्डिंस से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि उसके द्वारा कहां, कितने और किस साइज के होर्डिंस की अनुमति सार्वजनिक और निजी स्थानों की दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि नगरपालिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक सुरक्षा और पारदर्शिता उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल हैं। मंदसौर की जनता अब इस विषय पर ठोस और पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही हितधारकों के लिए एक एकल बिंदु ऐप लॉन्च करेगा

नीमच, 05 मई गुरु एक्सप्रेस। एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों से जुड़े चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूद मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल (reori-ent) बनाएगा। ईसीआई-नेट में एक सुदूर

यूजर इंटरफ़ेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।

यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईओ) श्री ज्ञानेश कुमार ने

निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी। ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा। ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है।) ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं। ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास चरण में प्रवेश कर चुका है और इसकी सुचारु कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करने के लिए विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठ वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित दायित्वों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

जल गंगा संवर्धन पर चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न

मंदसौर, 05 मई गुरु एक्सप्रेस। जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य नदी, तालाब, पुरानी बावड़ी सार्वजनिक कुआ की स्वच्छता और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जिसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण में शामिल करना। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जायेगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद ब्लॉक भानपुरा में जल गंगा संवर्धन एवं पानी बचाओ अभियान को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सीएमडीडीपी छात्र छात्राओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में गंगा संवर्धन पानी बचाओ एवं प्रदूषण मुक्ति को लेकर चित्रबनाए। एवं चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से जल गंगा संवर्धन हेतु चित्र बना कर सन्देश दिया गया।

जल एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है। बढ़ती वैश्विक आबादी और मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव के साथ, पानी की कमी एक बड़ती हुई चिंता बन गई है। इस चुनौती के जवाब में, जल संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है। जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य नदी, तालाब, पुरानी बावड़ी सार्वजनिक कुआ की स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सामाजिक विभाग म.प्र. शासन ने सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

कार्यालय सम्पदा प्रबंधक
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर
नामान्तरण—सूचना

मण्डल की आवासीय कॉलोनी संजीत मार्ग मंदसौर स्थित भवन क्रमांक एमआईजी.ए-33 जो श्रीमती अनुसूईयाबाई पति श्री नर्मदाप्रसाद शर्मा को वर्ष 1982 में आवंटित किया गया था। उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 29.05.2006 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया था। श्रीमती अनुसूईया बाई पति श्री नर्मदाप्रसाद शर्मा द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती सम्पतबाई पति श्री अमृतलाल डोसी को कर विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2008 इनके पक्ष में निष्पादित करवाया गया था। उक्त विक्रय पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भवन का नामांतरण श्रीमती सम्पतबाई पति श्री अमृतलाल डोसी अपने नाम करवाना चाहती है।

अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/परिवार के सदस्य/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति/उर्ज हो तो वह विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में यथ ठोस प्रमाण के कार्यालय में प्रस्तुत करे समयावधि व्यतीत हो जाने पर उक्त भवन का नामान्तरण श्रीमती सम्पतबाई पति श्री अमृतलाल डोसी के नाम से कर दिया जावेगा उसके पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति/उर्ज मान्य नहीं होगा।

(रिपुदमन सिंह चंद्रावत)सम्पदा प्रबंधक
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर (मप्र)